न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 15/2018 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2018/00043

अपीलांटगण :–	बनाम	रेस्पोडेन्टगण :–
छगनाराम गोदी पुत्र नथीयाजी, जाति भाम्बी, साकिन मण्डली खुर्द, तहसील व जिला पाली (राजस्थान)		1. भाणकी दुख्तर नथीया उर्फ नथारामजी पत्नी गोरखरामजी, जाति भाम्बी, निवासी बागड़िया, हाल निवासी 44, अमर इन्द्रा नगर, बागड़िया रोड़, पाली तहसील व जिला पाली (राजस्थान) 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पाली तहसील पाली जिला पाली (राजस्थान) 3. डूंगाराम पुत्र श्री भीमला, 4. उदाराम पुत्र श्री भीमला 5. मोहन पुत्र श्री भीमला 6. आशाराम पुत्र श्री भीमला, अकवाम भाम्बी, साकिनान् मण्डली खुर्द, तहसील व जिला पाली, (राजस्थान) मृतक वसाराम पुत्र श्री भीमला, जाति भाम्बी, साकिन मण्डली खुर्द तहसील पाली के उत्तराधिकारीगण :– 7. परवीन पुत्र वसारामजी 8. लक्ष्मण पुत्र वसारामजी 9. गीता दुख्तर वसारामजी 10. प्यारी बेवा वसारामजी, अकवाम भाम्बी, साकिनान् मण्डली खुर्द, तहसील पाली, जिला पाली (राजस्थान) 11. पुनीया पुत्र गिरधारीजी, जाति भाम्बी, साकिन मण्डली खुर्द, तहसील पाली, जिला पाली (राजस्थान) 12. प्रेमलता पत्नी कानाराम मेघवाल निवासी–18 शिवाजी नगर पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता :– अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री मदनदास वैष्णव उपस्थित
अधिवक्ता रेस्पाडेंट श्री पी.एम. जोशी उपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 15/3/21

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के नामान्तरणकरण संख्या 1349 स्वीकृत आदेश दिनांक 25.02.2010 जो नायब तहसीलदार पाली ने बहक रेस्पोडेंट संख्या 1 के मौजा मण्डली खुर्द तहसील पाली के खसरा नम्बर 611 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा के 1/3 हिस्सा के निस्बत् में सादिर किया उसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई है। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये सम्मन तथा जैर अपील नामान्तरकरण तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वकील अपीलांट द्वारा वक्त बहस कथन किया कि खसरा नम्बर 611 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी दोयम ग्राम मण्डल खुर्द तहसील पाली में स्थित है। जिसके 1/3 हिस्से खातेदार अपीलांट छगनाराम एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 भाणकी के पिता नथाराम उर्फ नथीया पुत्र गिरधारी दर्ज थे नथिया उर्फ नथाराम की मृत्यु [illegible] अपीलांट छगना , नथिया उर्फ नथाराम का गोदी पुत्र होने तथा भाणकी उसकी सगी [illegible] से फौतेदगी नामान्तरकरण उक्त दोनों वारिसान के नाम दर्ज होना चाहिए था लेकिन [illegible] बिना जांच किए बिना अपीलांट को नोटिस दिए सुनवाई का अवसर दिए बिना जैर [illegible] नामान्तरकरण संख्या [illegible] भर दिया एवं नायब तहसीलदार द्वारा स्वीकृत कर दिया गया जो विधिसम्मत नहीं होने से [illegible] योग्य है। जैर अपील आराजी पर अपीलांट का बहैसियत गोदी पुत्र कब्जा है। तथा वह नथिया उर्फ नथाराम का गोदी पुत्र होने के कारण उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी का वारिस जायन्दा पुत्री भाणकी एवं अपीलांट छगनाराम है। तथा जैर अपील नामान्तरकरण दोनों के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:24:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमशः.....................2

1/3, 1/3 हिस्सा दर्ज कर किया जाना चाहिए था ऐसा नहीं कर पटवार हल्का द्वारा अकेली भाणकी को जायन्दा पुत्री होने से उसके नाम नामान्तरकरण भर कर स्वीकृत करा दिया जबकि अपीलांट गोदीपुत्र होने के बावजूद उसके नाम का इन्द्राज नहीं कर भारी विधिक भुल की है। जबकि नथिया का गोदी पुत्र अपीलांट छगना के नाम का भी इन्द्राज करना चाहिए था अपने तर्कों की ताईद में अपीलांट को सामाजिक रिति गोद लिया जाना बताते हुए गोदनामा की फोटोप्रति भी पेश की गई। अपीलार्थी के राशन कार्ड में भी अपीलार्थी के पिता का नाम नथिया है। तथा वोटर लिस्ट में भी नाम होना बताया। एवं निवेदन किया कि जैर अपील नामान्तरकरण निरस्त फरमा कर अपीलांट का नाम भी बतौर वारिसान नथिया उर्फ नथाराम को गोदी पुत्र होने से पुत्री भाणकी के समान ही नामान्तरकरण में भी नाम इन्द्राज कराने के आदेश प्रदान करावे। वकील अपीलांट द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2003 RRT page 718, 1982 RRD page 332, 1989 RRD page 45, 1992 RRD page 718 , 1982 RRD page 332, 1994 RRD page 19 प्रस्तुत किए तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 की अनुसूची भी पेश की गई उसका हवाला देते हुए जैर अपील नामान्तरकरण खारिज कर उसमें नाम का भी इन्द्राज भाणकी के साथ दर्ज कराने के आदेश प्रदान कराने हेतु निवेदन किया।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में कथन किया कि भाणकी अकेली नथाराम उर्फ नथिया की जायन्दा पुत्री थी तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिस होने से उसके नाम जैर अपील नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है जो विधि सम्मत है। भाणकी के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत होने के पश्चात भाणकी ने जैर अपील आराजी का बेचाण जरिये मुख्तियार 2011 में ही कर दिया गया है तथा उक्त आराजी पर क्रेता प्रेमलता का कब्जा है। नामान्तरकरण के पृष्ठ भाग पर सजरा बना हुआ है जिसके अनुसार भाणकी अकेली ही नथिया उर्फ नथाराम की जायन्दा पुत्री थी। छगनाराम भीमला का पुत्र है न कि मेरे पिता नथिया उर्फ नथाराम का। उसने भीमला की खातेदारी आराजी में अपना हिस्सा भी प्राप्त किया है जो फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2064–2067 से जो संलग्न पत्रावली है उससे स्पष्ट है अपने पिता भीमला की खातेदारी आराजी में हिस्सा प्राप्त करने के पश्चात छगना की भी भूमी हड़पने की नियत से यह अपील पेश की गई है। उसके पिता भीमला की मौत के पश्चात नामान्तरकरण 25.06.2009 के अनुसार दर्ज हुआ। जब वह नथाराम उर्फ नथिया के गोद पुत्र था एवं गोदनामा संवत 2048 में होने के पश्चात उसको अपना नाम नामान्तरकरण संख्या 1315 दिनांक 25.06.2009 में इन्द्राज करवाकर के भीमला के खातेदारी भूमी से हिस्सा प्राप्त नहीं करना चाहिए था। लेकिन यह सब अपीलांट द्वारा एक योजना के तहत भूमी हड़पने के लिए किया गया है। बाद में वोटर लिस्ट व राशन कार्ड में पिता का नाम नथाराम लिखवा दिया जबकि गोदनामा संवत 2048 में हो गया तो उसी वक्त उसके राशन कार्ड में भी पिता का नाम नथिया उर्फ नथाराम दर्ज कराना था लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 10 के अनुसार विवाहित व्यक्ति गोद नहीं जा सकता है तथा गोदनामा के समय छगनाराम विवाहित था। जिसे गोद नहीं लिया जा सकता है इस कारण भी गोदनामा फर्जी प्रतीत होता है। जो गोदनामा की फोटो प्रति पेश की गई है वह उसे सामाजिक रीति से गोद लेना बता रहे है रजिस्टर्ड गोदनामा नहीं है जो विधिमान्य नहीं है ऐसे गोदनामें को सक्षम न्यायालय से प्रोबेट कराना आवश्यक है जो नहीं करा कर इस न्यायालय में यह अपील पेश की गई है राजस्व न्यायालय किसी भी व्यक्ति के गोद पुत्र होने नहीं होने की घोषणा नहीं कर सकते है। नामान्तरकरण 25.02.2010 में किया गया तथा अपील 28.03.2011 में पेश की गई जो म्याद बाहर होने से भी खारिज योग्य है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे। वकील रेस्पोडेंट द्वारा अपने तर्कों की ताईद में न्यायिक दृष्टांत 2012 (2) RRT 1412, 2016 (2) RRT 738 भी प्रस्तुत किए गए।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का भी ससम्मान अवलोकन किया गया।

इस अपील में दो बिन्दु मुख्य रूप से विचारणीय है :–

1. नामान्तरकरण स्वीकृत करने में प्रक्रिया का पालना हुआ या नहीं।
2. अपीलांट नथिया उर्फ नथाराम का विधिक वारिसान था अथवा नहीं।

अपील एक वर्ष देरीना पेश की गई इस बाबत म्याद में शुमार कराने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया है। जैर अपील नामान्तरकरण ab initio void नहीं है तथा हक अधिकारों का प्रश्न होने से अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया [illegible] अपील अपीलांट अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

अपील में प्रस्तुत गोदनामा [illegible] ना बताया है तथा उक्त गोदनामे के पश्चात सन 2009 [illegible] 1315 दिनांक 25.06.2009 के अपीलांट ने अपने पिता भीमला [illegible] हिस्सा ले लिया तो दूसरी बार नथा उर्फ नथिया की भूमी में अपने हक अधिकार का दावा क[illegible] न्यायोचित नहीं है। विधी अनुसार गोदनामा रजिस्टर्ड ही विधीमान्य है रिती रिवाज की लिखापढ़ी को गोदनामा मानना भी न्यायोचत नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:24:31 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः......................3

जिला कलक्टर, पाली

इस बाबत न्यायिक दृष्टांत 2012 (2) RRT 1412 भी इस प्रकरण में चस्पा होता है।

जिसके अनुसार 'राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 नामान्तरकरण जांच के बाद रेस्पोडेंट को मृतक 'एक' का विधिक वारिसान मानते हुए तहसीलदार ने नामान्तरकरण तस्दीक करने का आदेश दिया। मृतक–'एक' की पत्नी ने रेस्पोडेंट के पक्ष में वसीयत निस्पादित की सामाजिक रिती रिवाज के आधार पर अपीलांट 'एक' को गोद पुत्र घोषित नहीं किया जा सकता सिविल न्यायालय में अपीलांट को मृतक एक का गोद पुत्र घोषित नहीं किया। राजस्व न्यायालय एक व्यक्ति को गोदपुत्र घोषित नही कर सकता। निर्णित आदेश के अवैधता या अनयिमितता नहीं है।'

नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व पटवार हल्का द्वारा सजरा बनाया गया इससे जाहिर है की जांच की गई जो नामान्तरकरण के पृष्ठ भाग पर बना है तथा गांव के 4 व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी कराये है। उसके बाद ही स्वीकृत किया गया है पटवार हल्का एवं नायब तहसीलदार द्वारा जो कार्यवाही की गई है उसमें किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक त्रुटी नहीं है। नामांतरण स्वीकृत करते हुए भी अपीलार्थी द्वारा कोई आक्षेप/ऑब्जेक्शन नहीं किया गया। अतः अपीलार्थी इस बिन्दु को भी साबित करने में असफल रहा है।

उपरोक्त विवेचन के पश्चात जैर अपील नामान्तरकरण को एक ऐसे गोदनामा जो सामाजिक रिती के अनुसार लिखा पढी की हुई है पंजीकृत नहीं है। उसे आधार बनाकर जैर अपील नामान्तरकरण को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। साथ ही अपीलार्थी द्वारा गोदनामें के पश्चात अपने प्राकृतिक पिता की जमीन में हिस्सा लिया जाना भी पाया गया है। इस प्रकार एक ही व्यक्ति दो जगह टाइटल पाने का अधिकारी भी नहीं बन सकता है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है एवं जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 1349 ग्राम मंडली स्वीकृत आदेश दिनांक 25.02.2010 जो नायब तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत किया गया उसे यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15/3/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:24:31 IST
Reason: SelfAttested